

उत्तर रेलवे

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 84 बी. एन. एस.एस.)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया कि अभि. अब्दुल अंसारी पुत्र अजीज अंसारी निवासी आवारागर्द, फूटपाथ, श्रीनिवासपुरी दिल्ली ने मु.अ.सं. 19/2022 U/S 3RP(UP) Act के तहत थाना रे.सु.ब. हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिखाकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभि. अब्दुल अंसारी नहीं मिला है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित किया गया है कि उक्त अभि. अब्दुल अंसारी फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) इसलिए उद्घोषणा की जाती है कि मु. अं. सं. 19/2022 US/ 3RP (UP) Act के तहत थाना रे.सु.ब. हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के उक्त अभियुक्त अब्दुल अंसारी से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 21.12.2026 को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री वैभव गर्ग

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी II,
(केंद्रीय) तीस हजारी न्यायालय दिल्ली

3745/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ